समाहरणालय, मधेपुरा
(आपदा प्रबंधन शाखा)
-: आदेश :-

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-06 /आ0प्र0, दिनांक 15-05-2013 के द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत -उपमुख्य शीर्ष -02- बाढ़-चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0002- खाद्यान्न की आपूर्ति, विपत्र कोड एन0-2245021010002 के अन्तर्गत मो0-60,00,000/- (साठ लाख) रू0 का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसे संगत वित्तीय एवं विभागीय प्रावधान के आलोक में उनके नाम के सामने अंकित राशि उपावंटित किया जाता है :-

क्र0	आवंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम /पदनाम	पूर्व उपावंटित	वर्तमान उपावंटित राशि	कुल उपावंटित राशि
1.	अंचल अधिकारी, मधेपुरा	-	500000	500000
2.	अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर	-	500000	500000
3.	अंचल अधिकारी, शंकरपुर	-	300000	300000
4.	अंचल अधिकारी, गम्हरिया	-	200000	200000
5.	अंचल अधिकारी, घैलाढ़	-	200000	200000
6.	अंचल अधिकारी, कुमारखंड	-	500000	500000
7.	अंचल अधिकारी, मुरलीगंज	-	500000	500000
8.	अंचल अधिकारी, आलमनगर	-	1000000	1000000
9.	अंचल अधिकारी, चौसा	-	1000000	1000000
10.	अंचल अधिकारी, पुरैनी	-	300000	300000
11.	अंचल अधिकारी, उदाकिशुनगंज	-	500000	500000
12.	अंचल अधिकारी, बिहारीगंज	-	300000	300000
13.	अंचल अधिकारी, ग्वालपाड़ा	-	200000	200000
	कुल योग -	-	6000000	6000000

(मो0 साठ लाख) रू0 मात्र

उपावंटन की शर्त्तें :-

1- उपावंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाए, जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाए, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी /उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।

2- इस उपावंटित राशि की निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में योजना मुख्य बजट शीर्ष -2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत -उप मुख्यशीर्ष -02- बाढ़ चक्रवात

आदि, लघु शीर्ष-101- अनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0002- खाद्यान्न की आपूर्ति, विपत्र कोड-2245021010002 मद में उपावंटित राशि से विकलनीय होगा।

3- यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि0 (2), दिनांक 17-04-1998 के आलोक में की जा रही है।

4- उपावंटित राशि की विवरणी लघुशीर्ष /उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :-

लघुशीर्ष -101- आनुग्रहिक राहत

उपशीर्ष -0002- खाद्यान्न की आपूर्ति

मांग संख्या-39 यूनिट कोड - 2103-आहार /पथ्य

5- यदि उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण 15-03-2014 तक निश्चित रूप से कर दिया जाए, नहीं तो सारी जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखा जाए।

6- आवंटित की गयी राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाए। अपरिहार्य कारणवश राशि की अग्रिम /निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाए। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 विपत्र महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी एक प्रति उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय, मधेपुरा को भी दी जाए।

7- उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर स्पष्ट रूप से मुख्यशीर्ष /उपमुख्य शीर्ष /लघुशीर्ष विपत्र कोड का अंकन करना सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा त्रुटिपूर्ण आंकड़े के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाए।

प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन — आपदा प्रभारी आपदा प्रबंधन मधेपुरा

ह0/- 27/5/13
जिला पदाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 138-2 /आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक 28-5-2013.

प्रतिलिपि : सभी अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा /अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन मधेपुरा — आपदा प्रभारी आपदा प्रबंधन मधेपुरा

ह0/- 27/5/13
जिला पदाधिकारी
मधेपुरा।